संख्याः– 826 /आठ–8–17–70काम्प/2005टीसी–II

प्रेषक,

राजेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–8 लखनऊ : दिनांकः 14 सितम्बर, 2017

विषयः– प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमण तथा अवैध निर्माण के विरूद्ध समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही करते हुये अनुपालन आख्या प्रेषण के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या–402/1–2–2017–1 (सामान्य)/2017, दिनांक 01.05.2017 के क्रम में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या–167/8–8–2017–70काम्प/2005टी.सी. दिनांक 05.05.2017 एवं शासनादेश संख्या–633/8–8–2017–70काम्प/2005टी.सी. दिनांक 01.08.2017 तथा शासनादेश संख्या–805/8–8–2017–70काम्प/2005टी.सी.II दिनांक 08.09.2017 द्वारा अतिक्रमण/अवैध निर्माण के चिन्हीकरण, सूचीबद्धता एवं ध्वस्तीकरण करने तथा इसी संदर्भ में दायर की गयी अग्रेतर वादों के संदर्भ में सूचना निर्धारित प्रारूप पर प्रेषित करने के निर्देश दिये गये हैं। शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि उक्त दोनों शासनादेशों के प्रारूपों में उपलब्ध करायी जाने वाली सूचनाओं को एक तालिका के अंतर्गत संकलित किया जाये।

2– इस संबंध में यह भी अवगत कराना है कि शासन के पत्र संख्या–167/8–8–2017–70काम्प/2005टी.सी. दिनांक 05.05.2017 में यह व्यवस्था है कि नगर के अतिक्रमण/अवैध निर्माण को चिन्हित करने के लिए नगर को 'जोन्स' में बांटकर वरिष्ठ विभागीय अधिकारी के नियंत्रण में सहायक अभियंता/अधिशासी अभियंता तथा अन्य समकक्षीय अधिकारियों को उत्तरदायी बनाया जायेगा। अतिक्रमण/अवैध निर्माण को चिन्हितकरण कर उनको सूचीबद्ध किये जाने तथा ध्वस्तीकरण के पश्चात् आंशिक रूप से अतिक्रमण से प्रभावित अवशेष भूमि यदि हो, तो उसे अवमुक्त कराने की कार्ययोजना तथा अतिक्रमण से मुक्त करायी गयी भूमि का प्रमाण–पत्र भी अधिशासी अभियंता द्वारा संलग्नकर उपलब्ध कराया जाना होगा।

3– नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमण/अवैध निर्माण के विरूद्ध समयबद्ध कार्यवाही हेतु उत्तरदायी नोडल अधिकारी द्वारा एवं अभिलेखीकरण फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी के माध्यम से किया

जायेगा। यह भी अपेक्षित है कि अतिक्रमित भूमि का अभिलेख अतिक्रमण के पहले तथा अतिक्रमण से अवमुक्त कराने के पश्चात् फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी संबंधित उत्तरदायी नोडल अधिकारी द्वारा रखा जायेगा। उपरोक्त अभिलेखों की मांग किये जाने पर नोडल अधिकारी द्वारा समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

4— प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमण तथा अवैध निर्माण के विरूद्ध समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही हेतु संबंधित अवर अभियंता, अधिशासी अभियंता तथा मुख्य अभियंता से प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा कि प्राधिकरण/निकाय हेतु कुल अतिक्रमित भूमि के सापेक्ष कितनी भूमि अतिक्रमण से मुक्त करायी गयी है।

5— कृपया राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या—1/20017/644/एक—2—2017—रा0/1 (सामान्य)/2017, दिनांक 17.08.2017 के प्रारूप—ब में वर्णित 'एन्टी भू—माफिया' पोर्टल के माध्यम से भी सूचना प्रेषित की जायेगी। प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमण/अवैध कब्जा हटाने संबंधी अभियान के दौरान माह **मई, 2017 से अब तक चिन्हित अवैध कब्जा तथा हटाये गये अवैध कब्जा का विवरण** निर्धारित प्रारूप पर आवास बन्धु को प्रतिदिन उपलब्ध कराया जाय। निदेशक, आवास बन्धु द्वारा सूचनाओं का साप्ताहिक संकलन कर प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को अगले सप्ताह के प्रथम कार्य दिवस (सोमवार) को व्यक्तिगत रूप से हस्तगत कराया जायेगा।

भवदीय,

(राजेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

संख्याः—826 (1)/आठ—8—17—70काम्प/2005टीसी—II तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1) प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
(2) आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, लखनऊ।
(3) अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(4) निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(5) निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
(6) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
(7) समस्त निजी सचिव, विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।